लघु उद्योग, पारिस्थितिकी पर्यटन/ पुष्पकृर्षि तथा प्रोत्साहन सहायता के लिए प्रस्तावित पंजीयन का आवेदन प्रपत्र एवं अनुदेश

DEFINITION OF SSI UNITS
SSI Registration

List of Eligible/Ineligible activities under various categories

1. **Small Scale Industrial Undertaking**
Industrial undertaking in which the investment in fixed assets in plant & machinery, excluding land and building, whether held on ownership terms or on lease or on hire purchase, does not exceed Rs. 1 Crore (One Crore).
   a) Ancillory Industrial Undertaking:
   An Industrial undertaking which is engages or is proposed to be engaged in the manufacture or production of parts, components, sub-assemblies, tooling or intermediates, or the rendering of services and undertaking supplies or proposes to supply or renders not more than fifty percent of its production or services, as the case may be, to one or more other industrial undertaking and whose investment in fixed assests in plant and machinery, whether held on ownership terms or on lease or on hire purchase, does not exceed rupees one crore.
   b) Tiny Industries:
   All Small Scale units wherein investment on plant and machinery (excluding land and building) upto Rs. 25 Lakhs are classified as tiny industries.
   c) Export Oriented Units:
   All small scale units which exports more than 50% or their output is classified as Export Oriented Units.
2. **Definition of Small Scale Service Business Enterprises (SSSBE)**
Industrial related service/business enterprises with investment on plant and machinery upto Rs. 10 lakhs excluding land and building is registered under SSSBE.
3. **Specified activities eligible for SSI Registration up to Rs. 5 Crores**
There are certain types of industries/activities wherein investment on plant and machinery upto Rs. 5 Crores can also be registered under SSI category and such list of industries are available in Info-help

Note 1:
No Small Scale or ancillary industrial undertaking referred to above shall be subsidiary, or owned or controlled by any other industrial undertaking.

Explanation: For the purposes of this note. "owned" shall have the meaning as derived from the definition of the expression "owner" specified in clause (1) of section 3 of the said Act. "subsidiary" shall have the same meaning as in clause (47) of section 2 read with section 4, of the Companies Act 1956 (1 of

1956). "controlled by any other industrial undertaking means as under:-

(i) Where two or more industrial undertakings are set up by the same person as a proprietor, each of such industrial undertakings shall be considered to be controlled by the other industrial undertaking or undertakings.

(ii) Where two or more industrial are set up as partnership firms under the Indian Partnership Act 1932 (1 of 1932) and one or ore partners are common partner of partners in such firms, each such undertaking shall be considered to be controlled by the other undertaking or undertakings.

(iii) Where industrial undertakings are set up by companies under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), an Industrial undertakings shall be considered to be controlled by other industries undertaking if:-

(a) The equity holding by other industrial undertaking in it exceeds twenty Four Percent (24%) of its total equity; or

(b) The management control of an undertaking is passed on to the other, industrial undertaking by way of the Managing Director of the first mentioned undertaking being also the Managing Director or Director in the other industrial undertaking or the majarity of Directors on the Board of the first mentioned undertaking being the equity holders in the other industrial undertaking in terms of the provision of the following items (a) and (b) of sub-clause (iv);

(iv) The extent of equity participation by other industrial undertaking or undertakings in the undertakings as per sub-clause (III) above shall be worked out as follows:

(a) The equity participation by other industrial undertaking shall include both foreign and domestic equity;

(b) Equity participation by other industrial undertaking shall mean total equity held in an industrial undertaking by other industrial undertaking or undertakings, whether small scale or otherwise, put together as well as the equity held by persons who are Directors in any other industrial undertaking or undetakings even if the person concerned is a Director in other Industrial Undertaking or Undertakings;

(c) Equity held by a person, having special technical qualification and experience, appointed as a Director in a small scale industrial undertakings, to the extent of qualification shares, if so provided in the Articles of Association, shall not be counted in computing the equity held by other industrial undertaking or undertakings even if the person concerned is a Director in other industrial undertaking or undertakings.

(v) Where an industrial undertaking or undertakings is a subsidiary of or is owned or Controlled by any other industrial undertaking or undertakings in terms of sub-clauses (I); (II); or (III) and if the total investment in fixed assets in plant and machinery of the first mentioned industrial undertaking and the other industrial undetaking or undertakings clubbed together exceeds the limit of investment specified in paragraphs (1) or (2) of this notification as the case may be, none of these industrial undertakings shall be considered to be a small scale or ancillary industrial undertaking.

(for more details may visit Development commissioner (Small Scale Industrial)'s web site http://www.laghuudyog.com/ssiindia/defition.htm)

GOVERNMENT OF UTTARANCHAL
DIRECTORATE OF INDUSTRIES
Application Form for Provisional Registration As Small Scale Industires
(TO BE FILLED DUPLICATE)

प्रपत्र/FORM

1. इकाई/आवेदक का नाम/ Name of Unit/Applicant.

2. पत्र–व्यवहार का पता/ Address for Communication.

दूरभाष
Tel.:

पिन कोड
Pin Code

3. इकाई की श्रेणीः
Category of Unit:

लघु उद्योग–1/SSI-1, सहायक उद्योग–2/ANC-2, लघु सेवा और व्यापार उद्यम–3/SSSBE-3, अति लघु–4/TINY-4, निर्यातोन्मुखी इकाई–5/EOU-5

4. स्थानः
Location:

स्थान/शहरः
Place/Town :

तहसील/तालुक
Tehsil/Taluk

जिला
District

राज्य
State

5. संगठन का प्रकारः
Type of Organisation:
स्वामित्व–1/ Proprietory-1, भागीदारी–2/ Partnership-2, निजी कम्पनी–3/ Pvt. Company-3, सहकारी–4/ Cooperative-4, अन्य–5/ Others-5.

6. कार्यकलाप की प्रकृति/Nature of activity.
विनिर्माण/एसेम्बली (01)/Manufacturing/Assembly (01)
प्रोसेसिंग (02)/Processing (02)
जॉब कार्य (04)/Job Work (04)
मरम्मत/सेवा (08)/Repairing/Servicing (08)

नोटः कार्यकलापों के संयोजन की दशा में अपेक्षित कोड प्राप्त करने के लिए संबंधित कोड जोड़े ।

Note: For any combination of activities, add the respective code to get the required code.

7. कार्यकलाप/विनिर्माण की मुख्य मदें:
Main items of manufacture/activities:

(1) नामः
Name:
कोडः

(2) नामः
Name:
कोडः

(3) नामः
Name:
कोडः

(4) नामः
Name:
कोडः

(5) नामः
Name:
कोडः

8. अचल परिसम्पत्तियों में निवेश (रूपये हजारों में)/Investment in Fixed assests (Rs. in '000)

(1) भूमि/Land
(2) भवन/Building
(3) संयंत्र एवं मशीनरी/Plant and Machinery

(4) अन्य अचल परिसंपत्तियां / Other fixed assets

योगः / **TOTAL:**

9. संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश / Investment in Plant and Machinery
(प्रारम्भिक मूल्य रू0 हजारों में) / (Original value Rs. in '000)

टिप्पणी: उन वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए जिनके मूल्यों को निवेश की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाना है। यदि संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 40 लाख रूपये से अधिक हो तो कृपया परियोजना रिपोर्ट संलग्न करें।

NOTE: Should exclude items whose value is not taken into account while computing the investment. Please enclose project profile in case value of investment in Plant and Machinery exceeds Rs. 40 lacs.

10. शक्ति भार अ0 श0 / H. P.
(1 अश्व शक्ति = 0.795 किलोवाट) कि0 वा0 / K.W.
Power Load
(1 H. P. = 0.795 K.W.)

11. रोजगारः
Employment:

(क) प्रबंधकीय और कार्यालय कर्मचारी
(a) Managerial & Office Staff

(ख) पर्यवेक्षक एवं कामगार
(b) Supervisors and Workers

12. उत्पादन आरम्भ करने की तिथि (अनुमानित)
Date of commencement of production (estimated)

आवेदक के हस्ताक्षर (प्राधिकृत व्यक्ति)
Signature of Applicant (Authorised Person)

दिनांक :
Date :

स्वामी / भागीदार / प्रबन्ध निदेशक का नाम
Name of Proprietor/Partner/Managing Director

GOVERNMENT OF UTTARANCHAL
DIRECTORATE OF INDUSTRIES

District Industries Centre ______________________________

FOR OFFICE USE ONLY

Application No.   NIC Code
Block Code   District Code   State Code

Application of Unit:-

(Conforming-1 Non Conforming-2)
Whether the items of manufacture/ activity require and industrial licence.
Yes-1, No.2
(No industrial licence is required for items listed in Schedule II of the licencing notification dated 25/7/1991 if the unit employes are less than 50/100 workers with or without power)

PROVISIONAL REGISTRATION

The Application is accepted for Provisional Registration as a SSI/SSSBE unit for the manufacture of items/activities on stated in the application form.

Permanent Registration No.
Date of Issue
Category of Unit (S. No. 3): ___________________
Name of Product

Signature
Name & Designation of
Registering Authority

महत्वपूर्ण शर्तें एवं निर्देश/(Important Conditions & Instruction):

1. The endorsed application form is a part of the certificate of registration.
2. The provisional registration is valid for a period of five years from the date of issue.
3. The provisional registration will automatically lapse at the end of the validity period or the date of commencement of production, whichever is earlier.
4. If an applicant unit is unable to set up the unit within the validity period, the applicant/unit has the option to apply for a fresh provisional registration using standard procedure.
5. The provisional registration is given to enable the unit to obtain all facilities, clearance etc. required in the pre-production stage.
6. The provisional registration is subject to any or all conditions that may be imposed by the Registering Authority.

पत्रांक   /उ0नि0–थ्रस्ट उद्योग/पंजीकरण/2004–05

उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।
दिनांक : 27 दिसम्बर, 2004

समस्त महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
उत्तरांचल।

विषयः **एस0एस0आई0/एस0एस0एस0बी0ई0 से इतर थ्रस्ट उद्योग के रूप में चिन्हित पारिस्थिकीय पर्यटन एवं फ्लोरिकल्चर उद्योगों के पंजीकरण के सम्बन्ध में।**

भारत सरकार के विशेष प्रोत्साहन पैकेज में चिन्हित थ्रस्ट उद्योगों, विशेषकर पारिस्थिकीय पर्यटन, फ्लोरिकल्चर, पोल्ट्री इत्यादि के विभाग में पंजीकरण हेतु निदेशालय द्वारा निर्धारित आवेदन–पत्र एवं पंजीकरण प्रमाण–पत्र का प्रारूप संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

एस0एस0आई0/एस0एस0एस0बी0ई0 से इतर थ्रस्ट उद्योगों के रूप में चिन्हित क्रियाकलापों के पंजीकरण के लिए जनपद के महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक अधिकृत रहेंगे। पंजीकरण संख्या का आवंटन एस0एस0आई0/एस0एस0एस0बी0ई0 से भिन्न अलग पंजिका बनाकर क्रमवार पंजिका में दर्ज संख्या के आधार पर पंजीकरण प्रमाण–पत्र में अंकित की जायेगी तथा जारी होने की तिथि पंजीकरण की तिथि रहेगी। थ्रस्ट उद्योगों की पंजीकरण पंजिका का प्रारूप अनुलग्नक–1 में दिया गया है। यदि कोई अन्य विवरण पंजिका में अंकित किया जाना वांछित हो, तो उसे भी पंजिका में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

एस0सी0 चन्दोला,
संयुक्त निदेशक उद्योग,
उत्तरांचल।

पृष्ठांकन संख्या 2994–सी/उक्त, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, कुमायूं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, औद्योगिक आस्थान, काशीपुर।
2. अध्यक्ष, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एशोसियेशन,, औद्योगिक क्षेत्र, मोहब्बेवाला, देहरादून।
3. अध्यक्ष, कन्फडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज, देहरादून।
4. अध्यक्ष उत्तरांचल इण्डस्ट्रीज एशोसियेशन, रुड़की (हरिद्वार)।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., कैन्ट रोड, देहरादून।

एस0सी0 चन्दोला,
संयुक्त निदेशक उद्योग,
उत्तरांचल।

GOVERNMENT OF UTTARANCHAL
DIRECTORATE OF INDUSTRIES
Application Form of Provisional Registration for Floriculture, Poultry, Eco-Tourism
(Hotels, Resorts, Spa, Amusement/Entertainment Parks & Ropeways) other than SSI/SSSBE
(TO BE FILLED DUPLICATE)

फार्म / **FORM**

1. प्रतिष्ठान/आवेदक का नाम/Name of Enterprise/Applicant:

2. पत्र–व्यवहार का पता/Address for Communication:

3. दूरभाषः Tel.: ☐☐☐☐☐☐☐ पिन कोडः Pin Code: ☐☐☐☐☐☐☐

4. इकाई की श्रेणी
Category of Unit: ………………………………………………………

5. प्रस्तावित कार्य स्थलः
Proposed Location:

6. संगठन का प्रकार :
Type of Organisation:
स्वामित्व–1/ Proprietory-1, भागीदारी–2/ Partnership-2, निजी कम्पनी–3/ Pvt. Company-3, सहकारी–4/ Cooperative-4, अन्य–5/ Others-5.

7. कार्यकलाप की प्रकृति/Nature of Activity:

8. अचल परिसम्पत्तियों में निवेश (रुपये हजारों में)/ Investment in Fixed assests (Rs. in '000)

1. भूमि/ Land

2. भवन / Building

3. साधन एवं सहायक उपकरण / Equipement and Accessary

4. अन्य अचल परिसम्पत्तियों / Other fixed assests

योगः / Total:

9. विद्युत भार / Power Load in HP/KW

10. प्रस्तावित रोजगार / Proposed Employment:
(क) प्रबन्धकीय एवं पर्यवेक्षक / Managerial and Supervisors
(ख) निपुण कर्मकार / Skilled Worker
(ग) अकुशल कर्मकर / Unskilled Worker.

11. कार्य आरम्भ करने की प्रस्तावित तिथिः
Proposed date of commencement of Activity/commercial operation:

आवेदक के हस्ताक्षर (प्राधिकृत व्यक्ति)
Signature of Applicant (Authorised Person)

दिनांकः
Date:

स्वामी / भागीदार / प्रबन्ध निदेशक का नाम
Name of Proprietor/Partner/Managing Director

Declaration

I/We hereby affirm the following

1. that I/We have obtained all the statutory clearances/No Objection Certificates/permission required to carry out the business/activity under the prevalent laws, regulations and rules in force.
2. that I/We have also obtained the necessary registration/licence, wherever required, under the relevant laws, rules or orders, for the time being in force, for carrying out the said industrial activity.
3. I/We declare that all information given in this form is true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Place :
Date :

Signature of Applicant (Authorised Person)

उत्तरांचल शासन, औद्योगिक विकास विभाग

संख्याः– 812/औ0वि0/2003 देहरादून : दिनांक : 29 अक्टूबर, 2003

अधिसूचना

उत्तरांचल प्रदेश में पुष्पकृर्षि व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने हेतु पुष्पकृर्षि (Floriculture) क्रियाकलापों को प्रदेश में उद्योग का दर्जा निम्नवत् अनुमन्य किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः

1. न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फ्लोरिकल्चर का कार्य।
2. फ्लोरीकल्चर कार्य हेतु निर्धारित परिक्षेत्र में पोली हाऊस अथवा ग्रीन हाऊस की स्थापना।

उपरोक्त उद्योग को प्रदेश सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट जोर दिये जाने वाले उद्योगों (Thrust Sector) को प्रदत्त समस्त सुविधाएं अनुमन्य की जायेंगी।

संजीव चोपड़ा,
सचिव।

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2003

सं. 1(10)/2001–एनईआर0–भारत सरकार ने उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से इन राज्यों में औद्योगिक एककों हेतु केन्द्रीय अनुदान अथवा राजसहायता की निम्नलिखित योजना बनाई है :

1. संक्षिप्त नामः–

   यह योजना केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2003 कहलायेगी।

2. योजना का प्रारंभ और अवधिः–

   यह योजना 7 जनवरी, 2003 से प्रभावी होगी तथा 6.1.2013 मे प्रवृत्त रहेगी।

3. योजना का लागू होनाः–यह योजना उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के लिए अनुमोदित विकास केन्द्रों में उन सभी औद्योगिक एककों में और नई औद्योगिक एककों अथवा उनके विकास केन्द्रों में पर्याप्त विस्तार अथवा औद्योगिक अवसंरचनात्मक विकास केन्द्रों (आई आई डी सी) अथवा उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों द्वारा स्थापित औद्योगिक एस्टेटों/पार्कों/निर्यात संवर्धन क्षेत्रों और वाणिज्यिक संपदाओं तथा इन विकास केन्द्रों से बाहर स्थापित तथा अन्य अभिज्ञात स्थापना स्थलों के विनिर्दिष्ट जोर दिये जाने वाले उद्योगों (अनुबन्ध के अनुसार) में नये औद्योगिक एककों अथवा उनके पर्याप्त विस्तार में भी लागू रहेगीं।

4. पात्रता की अवधिः–

   यह राजसहायता, प्रात्र औद्योगिक एकक के लिए, योजना की अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

5. परिभाषाएंः–

   (क) ''औद्योगिक एकक'' से अभिप्रेत है कोई भी औद्योगिक एकक जिसमें विनिर्माणकारी कार्यकलाप किया जा रहा हो अथवा लघु उद्योग मंत्रालय के दिनांक 30.9.1991 के पत्र संख्या 2(3)/91–एस एस आई, बी डी में यथा परिभाषित एक उपयुक्त सेवा एकक जो सरकार द्वारा विभागीय रूप से न चलाया जा रहा हो।

(ख) ''नया औद्योगिक एकक'' से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेत है जिसको स्थापित करने के लिए प्रभावपूर्ण कार्यवाही 7 जनवरी, 2003 से पूर्व नहीं की गई थी।

(ग) ''विद्यमान औद्योगिक एकक'' से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेत है जो 7 जनवरी, 2003 को विद्यमान है।

(घ) ''पर्याप्त विस्तार'' से क्षमता के विस्तार/आधुनिकीकरण और विविधीकरण के प्रयोजन के लिए किसी औद्योगिक एकक के संयंत्र तथा मशीनरी में स्थिर पूंजी निवेश के मूल्य में 25 प्रतिशत से अन्यून की वृद्धि अभिप्रेत है।

(ङ) ''प्रभावी उपाय'' से निम्नलिखित कार्यवाहियों में से एक या अधिक उपाय अभिप्रेत हैं:–

(i) कि औद्योगिक एकक के लिए जारी पूंजी का 10 प्रतिशत अथवा अधिक प्रदत्त किया जा चुका है।

(ii) कि विनिर्माणकारी कार्यकलाप के लिए अपेक्षित फैक्ट्री बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा निर्मित कर दिया गया है।

(iii) कि औद्योगिक एकक के लिए अपेक्षित किसी संयंत्र तथा मशीनरी हेतु निश्चित ऑर्डर दे दिया गया है।

(च) ''स्थिर पूंजी निवेश'' से इस योजना के प्रयोजन के लिए संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश अभिप्रेत है।

6. स्वीकार्य राजसहायता की सीमा:–

विकास केन्द्रों में स्थापित सभी पात्र औद्योगिक एककों अथवा आई आई डी सी अथवा उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में स्थापित औद्योगिक संपदाओं/पार्कों/निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को उनके नये एककों के संबंध में उनके निवेश की 15 प्रतिशत की दर पर पूंजीगत निवेश राजसहायता दी जायेगी अथवा संयंत्र तथा मशीनरी में पर्याप्त विस्तार के संबंध में अतिरिक्त निवेश दिया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये होगी।

6.1 उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित नये औद्योगिक एककों अथवा अन्य विकास केन्द्रों में उनके पर्याप्त विस्तार अथवा आई आई डी सी अथवा औद्योगिक एस्टेट/पार्क/निर्यात संवर्धन क्षेत्रों और वाणिज्यिक संपदाओं में भी इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। इन विकास केन्द्रों से बाहर तथा अन्य अभिज्ञात स्थापना स्थलों में स्थापित विनिर्दिष्ट जोर दिये जाने वाले उद्योगों (अनुबंध के अनुसार) में नए औद्योगिक एकक अथवा उनका पर्याप्त विस्तार भी इसी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहनों के पात्र होंगे।

7. संयंत्र तथा मशीनरी:–

संयंत्र तथा मशीनरी के मूल्य की गणना करने में स्थापना स्थल पर पूर्ण रूप से स्थापित हो जाने पर औद्योगिक संयंत्र तथा मशीनरी की लागत को हिसाब में

लिया जायेगा जिसमें टूल, जिंग्स, डाइयां तथा मोल्ड्स जैसे उत्पादक उपकरणों की लागत, बीमा प्रीमियम और उनकी परिवहन लागत भी शामिल होगी।

7. (क) कच्चे माल के परिवहन तथा तैयार उत्पादों के विपणन हेतु वास्तविक रूप से उपयोग की गई राशि को? माल लाने ले जाने में निवेश की गई राशि के बराबर ही हिसाब में लिया जायेगा।

7. (ख) कच्चे माल तथा अन्य उपभोज्य भंडारों सहित कार्यशील पूंजी को संयंत्र तथा मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय शामिल नहीं किया जायेगा।

8. राज सहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेंसीः–

पूंजी निवेश राजसहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेंसी को राज्य सरकारों के परामर्श से अधिसूचित किया जायेगा।

9. पूंजी निवेश राजसहायता का दावा करने हेतु प्रक्रियाः–

उक्त योजना के तहत राजसहायता के लिए पात्र औद्योगिक एककों को नये एककों को स्थापित करने अथवा विद्यमान एककों का पर्याप्त विस्तार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने से पूर्व राज्य औद्योगिक विभाग में अपने आपको पंजीकृत कराना होगा तथा निवेश राजसहायता के दावों में अपने एककों की संयंत्र तथा मशीनरी में उनके द्वारा की जाने वाली कुल अतिरिक्त संभावित स्थिर पूंजी का अपना निर्धारण दर्शाना होगा।

10. पूंजी निवेश राजसहायता के संवितरण हेतु प्रक्रियाः–

राज्य सरकार प्रत्येक मामले के संबंध में राजसहायता की स्वीकृति और उसकी मात्रा के बारे में अर्हता पर निर्णय लेने के लिए एक समिति गठित करेगी जिसमें राज्य वित्त विभाग और राज्य उद्योग निदेशालय का एक–एक प्रतिनिधि तथा यदि औद्योगिक एकक की सहायता वित्तीय संस्थान करता है तो संबंधित वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

10.1 वित्तीय संस्थानों अथवा राज्य सरकार से सहायता के बिना स्थापित नये औद्योगिक एकक के संबंध में एकक को राजसहायता विनिर्दिष्ट की गई एजेंसी द्वारा एकक के उत्पादन शुरू करते समय राज्य सरकार की सिफारिश पर वितरित की जायेगी। इसी तरह राज्य सरकार के वित्तीय संस्थानों के बिना सहायता प्राप्त विद्यमान औद्योगिक एकक द्वारा उसके पर्याप्त विस्तार के संबंध में एकक को राज्य सहायता विनिर्दिष्ट की गई एजेंसी द्वारा राज्य सरकार की सिफारिश पर एकक में पर्याप्त विस्तार किये जाने और एकक द्वारा बढ़ाया गया उत्पादन शुरू कर दिये जाने के पश्चात दी जायेगी। तथापि ऐसे मामलों में जहां संबंधित राज्य सरकार सरकारी निधियों के सुरक्षा के बारे में संतुष्ट है, अनुमानित राजसहायता की आधे से अनधिक राशि एकक के उत्पादन शुरू होने से पूर्व उद्यमी द्वारा राज्य उद्योग निदेशालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रभावी कदम उठाये जाने संबंधी एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही जारी की जाएं तथा शेष राशि एकक द्वारा उत्पादन शुरू होने के पश्चात ही जारी की जाए।

10.2 राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक एकक के संबंध में राजसहायता राज्य सरकार की सिफारिश पर विनिर्दिष्ट की गई एजेंसी द्वारा वितरित की जायेगी। ऐसे मामलों में राज्य सरकार तथा संबंधित एकक के बीच एक अनुबंध/करार किया जाए जिसमें गिरवी, शपथ राजसहायता की राशि तक परिसंपत्तियों को गिरवी रखना शामिल हो। वित्तीय संस्थान से सहायता प्रापत नये औद्योगिक एकक अथवा विद्यमान औद्योगिक एकक पर्याप्त विस्तार के संबंध में एकक को राजसहायता उतनी ही किस्तों में वितरित की जायेगी जैसे कि वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण वितरित किया जाता है तथा साथ ही साथ विनिर्दिष्ट की गई एजेंसी से वित्तीय संस्थान द्वारा दावा किया जाए। ऐसे मामलों में वित्तीय संस्थान संबंधित एकक के बीच अनुबंध/करार कर लिया जाए जिसमें गिरवी/शपथ/संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिम राशि तक एकक की परिसंपत्तियों को गिरवी रखना तथा राजसहायता शामिल हो।

11. केन्द्र/राज्य सरकार/वित्तीय संस्थानों के अधिकारः—
यदि केन्द्रीय सरकार/संबंधित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान इस बात से संतुष्ट हैं, कि किसी औद्योगिक एकक ने राजसहायता अथवा अनुदान किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्याकथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करके प्रापत किया है अथवा यदि वह एकक प्रारंभ होने से पांच वर्ष के अंदर उत्पादन बंद कर देता है तो केन्द्र सरकार/संबंधित एककों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अनुदान अथवा राजसहायता वापिस करन के लिए कह सकते हैं।

12. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/संबंधित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना औद्योगिक एकक के किसी भी स्वामी को, संपूर्ण अनुदान अथवा राजसहायता या उसका कोई भाग प्राप्त करने के पश्चात उस संपूर्ण औद्योगिक एकक या उसके किसी भाग के स्थापना स्थल को बदलने के लिए या उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात पांच वर्ष की अवधि के अंदर अपने कुल निर्धारित पूंजी निवेश में प्राप्त संक्षेपन अथवा इसके पर्याप्त भाग का निपटान करने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी।

13. उन सभी एककों के संबंध में जिनको अनुदान अथवा राजसहायता का वितरण संबंधित वित्तीय संस्थान/राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इस आशय का प्रमाण—पत्र कि अनुदान अथवा राजसहायता का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए किया गया है जिनके लिए वह दी गयी है, केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को सम्बन्धित वित्तीय संस्थान/राज्य सरकार द्वारा उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिया जायेगा जिस तिथि को अंतिम किस्त/पूरी रकम प्राप्त हुई हो।

14. अनुदान अथवा राजसहायता प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक औद्योगिक एकक उत्पादन प्राप्त करने के पश्चात पांच वर्ष की अवधि के लिए अपने कार्यकलापों के

बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/राज्य सरकार (जैसा विनिर्दिष्ट किया जायेगा) को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

एस0 जगदीशन,
संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2004

फा0सं. 1(13)/2003–एस0पी0एस0 (iii)–केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अधिसूचना सं. 1(10) 2001–एन ई आर के तहत 8–1–2003 को अधिसूचित हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल से संबंधित केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2003 में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है:–

(i) ''परिभाषाएं'' नामक पैरा 5 के उप–पैरा (क) में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:–
औद्योगिक इकाइयां उक्त योजना के अनुबंध में महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची के क्रमांक 15 में उल्लिखित सभी पारिस्थितिक पर्यटन इकाइयों को भी शामिल करेंगी।

(ii) ''परिभाएं'' नामक पैरा 5 के उप–पैरा (घ) में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:–
पारिस्थितिक पर्यटन इकादयों के लिए, भवन निर्माण में कोई निवेश, बशर्ते कि निवेश राशि मूल राशि की कम से कम 25 प्रतिशत हो।

(iii) ''संयंत्र एवं मशीनरी'' नामक पैरा 7 में, उसके नीचे नया पैरा (ग) के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:–
(7) (ग) : उक्त योजना के अनुबंध में महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची में उल्लिखित पारिस्थितिक पर्यटन इकाइयों के लिए, संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना में परिशिष्ट में सूचीबद्ध मदों की लागत भी शामिल की जाएगी।

एस0 जगदीशन,
संयुक्त सचिव।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2004

F.No. 1(13)/2003-SPS(iii).--The Central Government hereby makes the following amendments under the Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2003 relating to Himachal Pradesh and Uttaranchal notified on 8-1-2003 vide Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Policy and Promotion Notification No. 1(10)/2001-NER.

(i) In sub-para (a) of para 5 titled "Definitions", the following shall be added:-
The industrial units will also cover all the eco-tourism units mentioned at Sl. No. 15 of the list of Thrust Industries at Annexure to the said Scheme.

(ii) In sub-para (d) of para 5 titled "Definitions", the following shall be added:-
"For eco-tourism units, any investment in "building", provided the investment is at least 25% of the original investment."

(iii) In para 7 titled "Plant and Machinery", the following shall be added as new para (c) thereunder :--
(7) (c) : In calculating the value of plant and machinery for eco-tourism units mentioned in the list of Thrust Industries at Annexure of the Scheme, the cost of items contained in the list at Appendix will be taken into account.

S. JAGADEESAN,
Jt. Secy.

शुद्धि–पत्र

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2004

फा0सं. 1(13)/2003–एस0पी0एस0 (iii)–भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की **हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरांचल** से सम्बन्धित केन्द्रीय पूँजी निवेश सहायता योजना, 2003 में संशोधन से सम्बन्धित दिनांक 14 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 1(13) 2003–एस0पी0एस0 (पपप) के पैरा 7(ग) में उल्लिखित परिशिष्ट को निम्न प्रकार पढ़ा जाए :

"परिशिष्ट

पारिस्थितिकी पर्यटन इकाईयों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी की परिभाषा

(क) हाउसबोटों के संबंध में, समूचाा हाउसबोट प्रोजेक्ट संयंत्र एवं मशीनरी के रूप में लिया जाएगा जिसमें इसकी फिटिंग एवं साज सज्जा भी शामिल होगी।

(ख) होटलों, रिजॉर्टों एवं अतिथि गृहों (मात्र लद्दाह) के सम्बन्ध में, भूमि एवं भवन के मूल्य की तुलना में संयंत्र एवं मशीनरी पर किया जाने वाला निवेश नगण्य है। अतः भवन को भी संयंत्र एवं मशीनरी का एक भाग मानना चाहिए। इसके अतिरिक्त, नीचे बिन्दु (ग) में दी गई वस्तुओं का ध्यान संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय रखा जाए।

(ग) संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरणों की विस्तृत सूची निम्नानुसार है :

1. स्विमिंग पूल के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट;
2. जल शुद्धिकरण संयंत्र;
3. हॉट वाटर बॉयलर और कमरा गर्म करने के उपकरण (स्थिर);
4. पानी मीठा करने क संयंत्र;
5. वाष्प निष्कर्षण और हवादारी संयंत्र;
6. एसर कंडीशनिंग प्लांट;
7. कोल्ड स्टोरेज उपकरण;
8. लॉन्ड्री उपकरण;
9. कूलर व रेफ्रीजरेटर उपकरण;
10. बेकरी उपकरण;
11. मलजल निपटान संयंत्र;
12. विद्युत उपकरण (स्थापित किये गए);
13. शिविर लगाने हेतु टैंट;
14. रसोई उपकरण, कुकिंग रेंज, डिश वाशर, वर्किंग टेबल;
15. अग्निशमन उपकरण (स्थिर);
16. टेलीफोन उपकरण/एक्सचेंज;
17. लिफ्टें;
18. सेफ डिपोजिट लॉकर;
19. कैंपस के भीतर पंपिंग सेट व लाइनों सहित ट्यूबवेल;

20. सामान ले जाने वाले वाहन जिनकी आवश्यकता अनन्य रूप से होटल के लिए हो;

21. सम्मेलन हॉल के लिए प्रोजेक्टर और अन्य उपकरण (स्थिर);

22. रोशनी देने वाले उपकरण;

23. साहसिक और जल–क्रीड़ा उपकरण।

(घ) साहसिक और अवकाश के खेल, मनोविनोद/मनोरंजन पार्क, केबल कार, रोप वे और स्पा के लिए, इन इकादयों की संपूर्ण परियोजना लागत (भूमि को छोड़कर) हिसाब में ली जाए।''

एस0 जगदीशन,
संयुक्त सचिव।

CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th September, 2004

F.No. 1(13)/2003-SPS(iii).--In the Government of India, Ministry of Commerce & Industry, Department of Policy & Promotion Notification No. F.No. 1(13)/2003-SPS(iii), dated 14th September, 2004 for amendments to the Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2003 relating to **Himachal Pradesh and Uttaranchal**, the Appendix referred to in para 7(c) may be read as under :

"Appendix

Definition of Plant & Machinery for Eco-Tourism Units

(a) In the case of Houseboats, the entire houseboat project along with its fitting and furnishing should be treated as plant and machinery.

(b) In the case of hotel, resorts and guest houses (Laddah only), the investment in plant and machinery is negligible in comparison to the cost of land and building. Therefore, building should also be included as a part of plant and machinery. Besides tis, the items given at (c) below may be taken ito account for calculating the value of plant and machinery.

(c) An illustrative list of plant and machinery/equipment is given below:

1. Filtration plant for swimming pool;
2. Water purification plant;
3. Hot water boiler and room heating equipment (fixed);
4. Water softening plant;
5. Fume extraction and ventilation plant;
6. Air conditioning plant;
7. Cold storagte equipment;
8. Laundry equipment;
9. Cooler and refrigeration equipment;
10. Bakery equipment;
11. Sewage disposal plant;
12. Electrical installations;

13. Tents for camping;
14. Kitchen equipment, cooking range, dish washer, working table;
15. Fire fighting equipment/exchange;
16. Telephone equipment/exchange;
17. Lifts;
18. Safe deposit lockers;
19. Tube wells along with pumping sets and lines within the campus;
20. Goods carrier exclusively needed for the hotel;
21. Projector and other equipments for conference hall (fixed);
22. Lighting equipment;
23. Adventure and water sports equipments.

(d) For Adventure & lesure sports, amusement/entertainment parks, cable car, ropeways and spa, the entire project cost of these units (excluding land) may be taken into account."

S. JAGADEESAN,
Jt. Secy.

Sub.: Certification of Capacity and Investment for the purpose of the Concessional Industrial Package and New Industrial Policy – 2003 and benefits there under

To,

The Managing Director
SIDCUL

Joint Director Industries

All General Managers
Distt. Industries Centre

All Industry Associations

Dear Sir,

The Govt. has been pleased to decide that for the purpose of certifying existing capacity, existing investment, capacity enhancement, additional investment etc., the following steps shall suffice for official purposes :

i) *Certificate of Charatered Engineer certifying capacities and expansion. *(enclosing list of value of machinery)*

ii) Certificate of Chartered Accountant to certify investments. *(enclosing list of investment separately & for what purpose).*

iii) Affidavit of the promoter along with an undertaking that he has read the clauses of the scheme and is furnishing true facts accordingly.

iv) Intimation to DIC with a copy to SIDCUL stating the name of the unit, khasra number location product, existing capacity & investment, proposed expansion in capacity and investment, source of finance, list of machinery or sectors in which investment is proposed time limit for undertaking the said work etc.

v) All the other formailities stipulated in the Capital Investment Scheme etc of Govt. of India shall also be adhered to.

The concerned General Manager, Distt Industry Centres shall be maintaining the true record of these formats and shall also be making sample check of 5% at random.

Yours Faithfully

SANJEEV CHOPRA
Secretary (ID)

[Note: Chartered Engineer and Chartered Accountant shall also certify that they have gone through the contents of the scheme and are certifying the capacity as required under the scheme.]

DIRECTORATE OF INDUSTRIES, UTTARANCHAL

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION UNDER THE CENTRAL CAPITAL INVESTMENT SUBSIDY SCHEME – 2003

1.	a	Name of the Industrial Unit	:
	b	Office address with Telephone No.	:
	c	Factory Address with Telephone No.	:
	d	Whether the unit is located in the areas as specified in the notification of G.O.I. dated 07.01.03, if yes please specify	:
	e	If the proposed/Expansion unit falls under the specified thrust industries, if yes, please specify	:
2		Constitution of the unit (please specify, whether Proprietor/ Partnership/ Private Limited/ Limited Company/ Co-operative Society)	:
	a	Name(s), Address (es) of the Propietor/ Partners/ Directors of the Board of Directors/ Secretary and President of the Co-operative Society/Trustee	:
	b	Date of Registration under the Companies Act/ or the concerned Act (Act should be clearly stated)	:
	c	Registered Head Office of the company	:
3		Details of Registration of the Unit	
	a	SSI Registration	
		i) Provisional Registration No.	:
		ii) Permanent Registration No.	:
	b	Number and date of Industrial Licence/ Letter of Intent/ Industrial Entrepreneurs Memorandum	
4		Name of the product of manufacture/Activity	:
	a	New/Proposed unit	

	b	*Substantial expansion unit - Before expansion, After expansion	
5	a	Whether the unit is new expansion	
	b	Details of effective steps taken for establishment of new/substantial expansion of the unit	

*** Substantial expansion as defined in G.O.I. notification dated 08.03.2003 vide para-5(a)**

	Details	***Prior to 07.01.2003***	***After 07.01.2003***
(i)	Total Capital Issue (Rs.)		
(ii)	Capital issued paid up (Rs.)		
(iii)	% of capital issued paid (Rs.)		
(iv)	State of construction of factory building required for manufacturing Activity.		
(v)	State of placement of order for plant & machinery (in Rs.)		

	b	Expected date of commencement of production in case of proposed/ New/ under expansion unit	:
6		Details of Capital Investment	:

	For proposed/ new unit (Please specify Actual or Proposed Investment)	For existing unit undergoing expansion (Please specify Actual or Proposed Investment)		
		Prior expansion upto 07.01.2003	Expansion after 07.01.2003	% increase
a) Land				
b) Building				
i) Office Building				
ii) Factory Building				
c) *Plant & Machinery				

d) *Accessories/ Productive equipments
e) Installation and electrification
f) Preliminary & Preoperative exp.
g) Miscellaneous fixed assets (Goods Carrier etc.)
h) *Good Carrier
TOTAL :-

7 i Means of Finance :

	For proposed/ new unit (Please specify Actual or Proposed Investment)	For existing unit undergoing expansion (Please specify Actual or Proposed Investment)	
		Prior expansion	Expansion
a) Own Capital			
i) Term Loan			
ii) Working Capital			
c) Other Sources			

*** As spcified in para-7 of the G.O.I.'s notification dated 08.01.2003**

ii) Name of Bank/ Financial Institution from where Term Loan/ Working Capital obtained and Account No.

8 Proposed/ Working employment position in the unit:

Sl. No.	Category	Nos.
1	Managerial	
2	Supervisory	
3	Skilled	
4	Semi Skilled	
5	Others	
	Total	

9 Tentative Assessment of Capital Investment Subsidy:

	Particulars	Total Value in Rs.
(a)	The cost of industrial plant & Machinery erected or likely to be erected at site	
(b)	Cost of productive equipment, such as tools, jigs, dies and moulds, insurance premium and their transportation cost.	
(c)	Cost of goods carrier as admissible under para-7(a) of the G.O.I. notification dated 08.01.2003 Total Proposed/Actual Capital Investment	
	Admissible Capital Investment Subsidy @ 15%	

DECLARATION

I/We hereby solemnly declare that the above informations furnished for the grant of registration under the Central Capital Investment Subsidy Scheme 2003 are correct and true to the best of my/our knowledge and belief.

Place:
Date:

Signature of the Applicant/
Authorised Signatory

REPORT OF THE RECOMMENDING AUTHORITY

Certified that the informations furnished by the unit M/s. ____________________________________for grant of CIS Registration found correct and acceptable with the following modifications.

1.

2.

Recommended/Non-Recommended for CIS Registration due to the following reasons:-

1.

2.

Place :

Date :

Signature of the Recommending
Authority Designation and Seal

CIS Registration Certificate

The application has been accepted for registration under the Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2003 and the Registrian No. given is ________________Dated _________________

Signature of the Registration Authority
Directorate of Industries, Uttaranchal/
District Industries Centre

Certified/Attested photocopies of the documents to be submitted along with the application form for registration under Capital Investment Subsidy Scheme.

1. Constitution of the Unit.
   a) In case of partnership unit registered deed of partnership with general power of attorney.
      i) In case of private limited/public limited company.
      ii) Registration Certificate under the Companies Act.
      iii) Memorandum and Article of Association.
      iv) Name of Board of Directors.
   b) In case of Co-Operative Society.
      i) Resolution of the General body for registration of the unit under SSI if any.
      ii) Registration Certificate
      iii) Memorandum and Article of Association.
2. Registration Certificate from the District Industries Centre (Provisional & Permanent) and LOI/IL/IEM/ etc. if any.
3. Land & Building
   a) In case of Government land alloted by Government : Allotment letter, Trace map and receipt on the premium paid to the government for allotment.
   b) In case of lease hold land from a private owner: Lease deed agreement along with the general power of attorney and trace map.
   c) In case of own land:
      i) Purchase deed.
      ii) Up to date non-incumbent certificate
      iii) Jamabandi copy & tace map
   d) In case of Government land alloted by any Government agency:-
      i) Allotment letter and trace map.
      ii) Deed Agreement
   e) In case of Industrial shed allotted by any government agency:-
      i) Allotment letter.
      ii) Deed of Agreement.
4. Sanction letter from the financial institution/banks for Term Loan & Working Capital Loan.
5. Power
   i) Power Sanction Letter.
   ii) First bill of SEB/Uttaranchal Power Corporation Ltd.
6. List of plant & machinery with its value.
7. List of employees with their name & address and date of appointment.
8. Project Report/Scheme of the unit approved by the Bank/Financial Institution/Concern DIC, as the case may be.
9. Source of own finance/equity with supporting documents.
10. No objection certificate from the local bodies/authority and trade licences, if any.
11. NOC from Pollution Control Board.
12. Any other documents sought for by the authority concerned.